प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 953/2001

सुधारी उर्फ शिवधारी सिंह

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 31.07.2006 को सूचीबद्ध किया जाये।

हस्ता./-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 953/2001

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

सुधारी उर्फ शिवधारी सिंह

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज मेहता।
राज्य की ओर से नामिका अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

<u>(दिनांक 31.07.2006 को पारित)</u>

यह अपील प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरिया (बैकुंठपुर), श्री टी.पी. शर्मा द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 212/2001 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2001 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 376 के तहत दोषसिद्ध किया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा धारा 450 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया था।

2. संक्षिप्त रूप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक 18.03.2001 को, लगभग अभियोक्त्री जिसकी आयु 16 वर्ष थी, ग्राम खोद, बड़कापारा, थाना पटना, जिला कोरिया स्थित अपने निवास पर अकेली थी। उसके माता-पिता अर्थात रामधार (अभि.सा. 2) और मोहरमुनिया (अभि.सा. 6) दूसरे गाँव गए हुए थे। यह आरोप है कि रात्रि लगभग 8.00 बजे अपीलार्थी अभियोक्त्री के घर में अनाधिकृत रूप से घुस आया और उसे शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देकर एक खाट पर धकेल दिया और उसके साथ दो बार बलात्कार किया। रात्रि लगभग

9.00 बजे अभियोक्त्री के माता-पिता घर लौटे। उन्हें देखकर अपीलार्थी भाग गया। अभियोक्त्री ने घटना का विवरण अपने माता-पिता को बताया। अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 19.03.2001 को अपराह्न 3.45 बजे प्रदर्श पी.1 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियोक्त्री का शाला प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.4, जिसमें उसकी जन्म तिथि 08.07.1985 दर्शायी गई है, प्रदर्श पी.3 के माध्यम से अभियोक्त्री से जब्त किया गया। डॉ. कलावती पटेल (अभि.सा. 8) ने दिनांक 19.03.2001 को अभियोक्त्री का परीक्षण किया और उसके शरीर पर कहीं भी कोई बाह्य चोट नहीं पाई। आंतरिक परीक्षण पर, उन्होंने पाया कि योनिच्छद में पुराना विदर था, योनि में सुगमता से दो उंगलियां प्रवेश कर रही थीं और अभियोक्त्री रजस्वला थी। यह मत व्यक्त किया गया कि अभियोक्त्री मैथुन की अभ्यस्त थी और उसके साथ बलात्कार किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं था। योनि की स्लाइडें तैयार की गईं और आरक्षक को सौंपी गईं जिसे प्रदर्श पी.9 के माध्यम से जब्त किया गया। अभियोक्त्री के अंतःवस्त्र को दिनांक 23.03.2001 को प्रदर्श पी.2 के रूप में जब्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारण किए गए अंतःवस्त्र को भी दिनांक 21.03.2001 को प्रदर्श पी.14 के माध्यम से जब्त किया गया। रासायनिक विश्लेषण हेतु भेजे जाने पर, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के रिपोर्ट प्रदर्श पी.17 से पुष्टि हुई कि अभियोक्त्री की योनि स्लाइडों या अंतःवस्त्र पर वीर्य या मानव शुक्राणु उपस्थित नहीं थे। हालांकि, अपीलार्थी के अंतःवस्त्र पर वीर्य और मानव शुक्राणुओं की उपस्थिति की पुष्टि हुई। फिर भी, ये धब्बे सीरम-विज्ञानी परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं थे। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 एवं 376 के तहत अभियोजित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी ने आरोप से इनकार किया, निर्दोष होने का अभिवचन किया और बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन ने कुल 8 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को कंडिका-1 में उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध और दंडित किया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज मेहता ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि घटना की तिथि को अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक थी और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी द्वारा किया गया कथित लैंगिक कृत्य, यदि कोई था, पूर्णतः अभियोक्त्री की सम्मति से था। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोक्त्री ने पूर्व में भी अपीलार्थी के विरुद्ध

बलात्कार की इसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया था। अंत में, यह आग्रह किया गया कि अपीलार्थी को संपत्ति विवाद के कारण मिथ्या फंसाया गया है। दूसरी ओर, विद्वान अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए।

5. परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के उपरांत, मैंने अभिलेख का अनुशीलन किया है। जहाँ तक अभियोक्त्री की आयु का प्रश्न है, उसने अपने परिसाक्ष्य की कंडिका 12 में स्वीकार किया कि दिनांक 25.07.2001 को अपने साक्ष्य के समय उसकी आयु लगभग 17 वर्ष थी। रामधार (अभि.सा. 2), जो कि अभियोक्त्री के पिता हैं, ने भी स्वीकार किया कि उन्हें अभियोक्त्री की जन्म तिथि स्मरण नहीं थी। मोहरमुनिया (अभि.सा. 6), अभियोक्त्री की माता ने भी अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका-4 में स्वीकार किया कि अभियोक्त्री की आयु लगभग 17 वर्ष थी। परीक्षण की कंडिका 4 के अनुसार अभियोक्त्री की आयु लगभग 17 वर्ष थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि अभियोक्त्री की जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य उसके घर पर उपलब्ध थे, लेकिन पुलिस को नहीं दिए गए थे। रामधार अभि.सा.2 ने भी यह स्वीकार किया कि अभियोक्त्री के जन्म की सूचना कोटवार को दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री की जन्म तिथि सिद्ध करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य अर्थात् कोटवारी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया है। डॉ. कलावती पटेल, अभि.सा.8 ने भी यह अभिमत दिया था कि अभियोक्त्री की आयु लगभग 16 वर्ष थी और उन्होंने आयु की पुष्टि के लिए उसे सी.एम.ओ. के पास भेजा था। विवेचना के दौरान, आयु की पुष्टि के लिए अभियोक्त्री का रेडियोलॉजिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया था। उपरोक्त परिस्थितियों में, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अभियोक्त्री अभि.सा.1 ने कथन किया कि जब वह घर में अकेली थी, तब अपीलार्थी ने घर में प्रवेश किया और उसका हाथ पकड़ लिया तथा चिल्लाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद, अपीलार्थी ने उसके सलवार और अधोवस्त्र उतार दिए और अपने कपड़े उतारने के बाद उसे खाट पर लिटा दिया। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ दो बार संभोग किया। इसी समय, अभियोक्त्री के माता-पिता वहाँ पहुँच गए जिसके बाद अपीलार्थी वहाँ से भाग गया।

7. अभियोक्त्री ने स्वीकार किया कि लक्ष्मण, जगदीश और धर्म साईं के घर उसके घर के पास स्थित हैं और उसकी आवाज़ पड़ोसी घरों में सुनी जा सकती थी। उसने यह परिसाक्ष्य नहीं

दिया कि उसने घटना के दौरान चिल्लाया था या कोई शोर मचाया था, यद्यपि उसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि अपीलार्थी ने उसका मुँह नहीं दबाया था और उसके हाथ भी स्वतंत्र थे। मोहरमुनिया अभि.सा.6 ने भी कंडिका 3 में कथन किया कि उसके घर से मचाया गया कोई भी शोर तीनों पड़ोसी घरों में सुना जा सकता था। हाथ स्वतंत्र होने और मुँह न दबाए जाने के बावजूद, यह तथ्य कि अभियोक्त्री ने शोर नहीं मचाया या प्रतिरोध नहीं किया, बलात्कार के संबंध में उसके साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं बनाता है। उसने कथन किया कि अपीलार्थी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और खाट पर लिटा दिया और उसके बाद उसके कपड़े उतार दिए। चूंकि अभियोक्त्री के साक्ष्य में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे यह पता चले कि उसने कथित यौन कृत्य के दौरान कोई प्रतिरोध किया था या कोई शोर मचाया था, अतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि संभोग, यदि कोई हुआ हो, अभियोक्त्री की सहमति से किया गया था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी.1 की अंतर्वस्तु भी पूर्वोक्त निष्कर्ष का समर्थन करती है क्योंकि इससे यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के घर के भीतर उसके साथ लगभग एक घंटे तक संभोग किया था और उसके माता-पिता के आने पर वह भाग गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. रामधार अभि.सा. 2 और अभियोक्त्री अभि.सा. 1 ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि पूर्व में भी अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के विरुद्ध बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया था । अभियोक्त्री ने कंडिका 5 में यह भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी के माता-पिता उस पर अपीलार्थी के साथ विवाह करने के लिए दबाव डाल रहे थे । रामधार अभि.सा. 2 ने कंडिका 6 में कथन किया कि यदि वह अपीलार्थी को पसंद करता, तो वह उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता ।

9. अभियोक्त्री का यह परिसाक्ष्य कि अपीलार्थी ने उसके माता-पिता के आने तक उसके साथ दो बार बलपूर्वक बलात्कार किया, विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि डॉ. कलावती पटेल अभि.सा. 8 का चिकित्सीय साक्ष्य भी इस कथन की पुष्टि नहीं करता है। डॉ. कलावती ने दिनांक 19.3.2001 को अभियोक्त्री के परीक्षण पर उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई और योनिच्छद में पुराना विदर पाया। उन्होंने यह भी पाया कि अभियोक्त्री रजस्वला थी। यह तथ्य भी अभियोक्त्री के साक्ष्य को विश्वास के अयोग्य बनाता है। यदि अभियोक्त्री के रजस्वला होने के तथ्य के बावजूद अपीलार्थी ने उसके साथ एक घंटे तक दो बार बलात्कार किया होता, तो

अभियोक्त्री और अपीलार्थी के अंत:वस्त्रों पर रक्त के धब्बे अवश्य होते। विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने अपने प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 17 में ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोक्त्री की योनि स्लाइड पर वीर्य या मानव शुक्राणुओं की उपस्थिति की भी पुष्टि नहीं हुई थी, जो अभियोक्त्री के साक्ष्य का खंडन करता है और उसे किसी भी विश्वास के अयोग्य बनाता है।

10. अभियोक्त्री ने चौथे कंडिकामें, रामधार अभि.सा. 2 ने सातवें कंडिका में और मोहरमुनिया अभि.सा. 6 ने तीसरे कंडिका में स्वीकार किया है कि पुराने संपत्ति विवाद के कारण अपीलार्थी के परिवार के साथ संबंध तनावपूर्ण थे और उनके बीच मेल-मिलाप नहीं था। यदि स्थिति ऐसी थी और यदि पूर्व में अपीलार्थी बलात्कार के एक अन्य प्रकरण में दोषमुक्त हो चुका था, तो यह संभव नहीं प्रतीत होता कि अपीलार्थी अभियोक्त्री के घर उसके साथ बलात्कार करने गया होगा। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियोक्त्री ने अपने माता-पिता के उकसावे पर अपीलार्थी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपरोक्त चर्चाओं से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आते हैं:

क) इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक थी।

ख) इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाया गया था।

ग) अभियोक्त्री का स्वयं के साथ बलात्कार के संबंध में साक्ष्य, यौन कृत्य (यदि कोई हुआ हो) के दौरान उसके आचरण, उसके रजस्वला होने के तथ्य और चिकित्सीय साक्ष्य या विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट द्वारा पुष्टि न होने के कारण पूर्णतः अविश्वसनीय है।

घ) इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संभोग, यदि कोई हुआ हो, अभियोक्त्री की सहमति से किया गया था।

12. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर समग्र रूप से विचार करने और उससे

निकलने वाले उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, मेरी यह सुविचारित राय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 376 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके अधीन दी गई सजा रद्द किए जाने योग्य है और अपीलार्थी संदेह के लाभ का अधिकारी है।

13. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 376 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को निरस्त किया जाता है और अपीलार्थी को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी को तत्काल मुक्त किया जाए, यदि किसी अन्य वाद में उसकी आवश्यकता न हो।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur